[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

Government of India Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare)

> Nirman Bhavan New Delhi September, 2010. Dated the

NOTIFICATION

S.O. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the said First Schedule against "Dr. NTR University of Health Sciences, Vijaywada, Andhra Pradesh" under the heading 'Recognized Medical Qualification' [in column (2)] and under the heading 'Abbreviation for Registration"[in column (3)], the following shall be

(2)

(3)

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

M.B.B.S.

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Dr. NTR University of Health Sciences, Vijaywada, Andhra Pradesh on or after March 2010 in respect of students trained at Bhaskar Medical College, Yenkapally, District, Andhra Pradesh)

[No. U.12012/74/2004-ME(P-II)]

Under Secretary to the Govt. of India

To

The General Manager, Government of India Press Mayapuri, Ring Road New Delhi

Copy to:-

- 1. The Secretary, Medical Council of India, Pocket-14, Sector-8, Dwarka, New Delhi-
- 2. Dte. Genl. of Health Services, (ME Section)/CHS-V Section
- 3. All State Governments/UTs
- 4. All Universities (Having medical faculties)
- 5. All the State Medical Councils
- The Principal, Bhaskar Medical College, Yenkapally Village, Moinabad Mandal,
- 7. The Registrar, Dr. NTR University of Health Sciences, Vijaywada, Andhra Pradesh.
- 8. The Secretary, Health & Medical Education Department, Government of Andhra Pradesh, A.P. Secretariat, Hyderabad, Andhra Pradesh. 9. ADG(ME)/DDG(M).

University of Markit Soldhook, Villaywasa

(Anita Tripathi) Under Secretary to the Govt. of India (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ) भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

> निर्माण भवन, नई दिल्ली दिनांक : 22 सितम्बर,2010

अधिसूचना

सा.आ.----- केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद से परामर्श करके, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है नामत:

उक्त प्रथम अनुसूची में 'मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता' (कॉलम (2) में और ''डा. एन टी आर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा'' आंध्र प्रदेश के समक्ष ''पंजीकरण के लिए संक्षिप्त रूप'' शीर्षक के अंतर्गत कॉलम (3) में निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामत:

2

3

बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी

एम.बी.बी.एस.

(भास्कर मेडिकल कालेज, यंकापल्ली, आर आर जिला, आंध्र प्रदेश में प्रशिक्षित विद्यार्थियों के संबंध में डॉ एन टी आर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश द्वारा मार्च, 2010 में या इसके बाद प्रदान की गई चिकित्सा अर्हता मान्यता प्राप्त होगी)।

[संख्या यू.-12012/74/2004-एम.ई.(पी-॥)]

(अनिता त्रिपाठी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, रिंग रोड़ नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित :

- 1. सचिव, भारतीय चिकित्सा परिषद, पाकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110075।
- 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, (एम ई अनुभग)/सी एच एस-V अनुभाग।
- 3. सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र।
- 4. सभी विश्वविद्यालय (चिकित्सा संकाय वाले)।
- 5. सभी राज्य चिकित्सा परिषदें।
- 6. प्राचार्य, भास्कर मेडिकल कॉलेज, येंकापल्ली विलेज, मोयनाबाद मंडल, आर.आर.जिला, आंध्र
- 7. रजिस्ट्रार, डॉ. एन टी आर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाडा, आध्र प्रदेश।
- 8. सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
- 9. ए डी जी (एम ई)/डी डी जी (एम)।

अवर सचिव, भारत सरकार